संख्या: 73/2015/1174/छप्पन-2015-95/2012

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक : 11 सितम्बर, 2015

विषय: कैप्टन प्रज्ञेश मिश्र को मैसर्स हैट्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर में राजकीय हेलीकाप्टर बेल-412 का एक्जामिनर बनाये जाने के निमित्त ग्राउण्ड कोर्स एवं सिमुलेटर पर फ्लाइंग ट्रेनिंग कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 406/ना0उ0नि0/आप्स/26-2015, दिनांक : 21.7.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कैप्टन प्रज्ञेश मिश्र को मैसर्स हैट्स आफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर में राजकीय हेलीकाप्टर बेल-412 का एक्जामिनर बनाये जाने के निमित्त दिनांक 21 व 22 सितम्बर, 2015 को दो घण्टे का ग्राउण्ड कोर्स एवं दो घण्टे की सिमुलेटर पर फ्लाइंग ट्रेनिंग कराये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कुल रूपये 2,86,810/-, तथा प्रशिक्षणार्थी के एकोमोडेशन पर रूपये 9,000/- के व्यय अर्थात् प्रशिक्षण शुल्क/एकोमोडेशन के रूप में कुल रूपये 2,95,810/- का व्यय निहित है। अतः राज्यपाल महोदय कैप्टन प्रज्ञेश मिश्र को माह सितम्बर, 2015 की उक्त तिथियों में अर्थात् दो दिवसीय सिमुलेटर पर फ्लाइंग ट्रेनिंग एवं ग्राउण्ड कोर्स मैसर्स हैट्स आफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बंगलौर में कराये जाने की स्वीकृति एवं प्रशिक्षण शुल्क/एकोमोडेशन शुल्क के रूप में रूपये 2,95,810/- (रूपये दो लाख पनचानबे हजार आठ सौ दस मात्र) के व्यय के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान मैसर्स हैट्स आफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर को नियमानुसार बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाय। स्वीकृत धनराशि के अग्रिम आहरण एवं भुगतान में नियमों के पालनार्थ निदेशक, नागरिक उड्डयन एवं आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-2774/ दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10.6.2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यात्रा व्यय का भुगतान 04-यात्रा व्यय के मद से नियमानुसार किया जाय।

5- उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात कैप्टन प्रज्ञेश मिश्र के लाइसेन्स में नियमानुसार पृष्ठांकन कर स्वीकृत धनराशि के समायोजन की सूचना शासन को तत्काल दी जाय।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या 38 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

7- यह वित्तीय स्वीकृति वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10.6.2011 के प्रस्तर- 3(1) में विहित प्रावाधानान्तर्गत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या: 73/2015/1174 (1)/छप्पन-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226 024.
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- मैसर्स हैट्स आफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग एकेडमी प्रा0लि0, बैंगलौर।
6- सम्बन्धित अधिकारी।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।